तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
5/22	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षों के वकील उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R-11 CPC का जवाब पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किया है, वकील वादीगण दिनांक 29/7/19 से जवाब पेश करने का अवसर ले रहे हैं, तीन वर्षों से भी प्रार्थना पत्र 07 R-11 CPC का जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 07 R-11 CPC दिनांक 13/05/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	
13/5/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 30/5/22 को पेश हो।	
30/05/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण अनुपस्थित वादीगण का ~~मय~~ अधिवक्ता कोई समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। उक्त अनुमान प्रकरण वादीगण की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) [illegible]क कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:32 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें ,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

वादीगण :– 1. हरींगाराम पुत्र बालुराम

2. गुलाबा पुत्र बालुराम

जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा

तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी :– विरधाराम पुत्र पदमाराम जाति विश्नोई

निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुडामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 ,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित वास्ते घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा एवं निष्प्रभावी करने बेचान , एवं धारा 5 , 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम

महोदयजी,

वादी का वाद निम्न अनुसार है :–

1. कि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा तेजा पुत्र हडमता के नाम से खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 42 बीगा 01 बिस्वा मौजा गोलिया गर्वा तहसील गुडामालानी में आया हुआ था जिस खेत पर तेजा के [illegible] साथ वादीगण के पिता व वादीगण काबिज हुए [illegible] काश्त करने लगे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:32 IST
Reason: SelfAttested

2. कि वादीगण के दादा के नाम से उक्त खेतो का अलग रूप से पर्चा लगान जारी होने के कुछ समय बाद ही तेजाराम ने वादीगण व वादीगण के पिता की सहमति लिये बिना ही वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 42 बीगा 01 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी को कर दिया लेकिन उक्त बेचान होने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खेत पर कभी भी कब्जा नहीं किया और न ही वादीगण व उसके पिता के काश्त के दरम्यान दखलदांजी की गई ।

3. कि वादीगण के दादा तेजा के फौत होने के बाद वादीगण यही समझते रहे कि उक्त खेत का फौतगी का नामान्तकरण वादीगण के पिता बालु के नाम से भरा गया होगा । लेकिन वादीगण के पिता बालु का स्वर्गवास अर्सा तीन माह पूर्व हुआ तब प्रतिवादी ने वादीगण के कब्जा एवं काश्त में दखलदांजी करना प्रारम्भ किया तथा वादग्रस्त खेत प्रतिवादी द्वारा खरीदना बताया गया तब वादीगण ने विवादित बेचान की नकल ली तब वादीगण को सर्वप्रथम उक्त बेचान का ज्ञान हुआ । लेकिन वादीगण का उक्त वादग्रस्त खेत पैतृक सम्पति का है तथा पैतृक सम्पति में वादीगण के जनम से ही अधिकार [illegible] ऐसी स्थिति में वादीगण के दादा द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान जो प्रतिवादी को किया गया है वह वादीगण के हितो तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है जिस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:32 IST
Reason: SelfAttested